अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश,
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
(पी.ई.पी.टी. 2012 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर)
ऑनलाइन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग कार्यक्रम, सत्र 2012–13
समय–सारणी में परिवर्तन की सूचना

व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पी.ई.पी.टी.–2012 के घोषित परिणामों के आधार पर प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में बी.ई. पाठ्यक्रम में ''शिक्षण शुल्क छूट योजना'' तथा सामान्य पूल की सीटों के लिये संशोधित समय–सारणी निम्नानुसार घोषित किया जाता है :–

शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना में बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संशोधित समय–सारणी

पाठ्यक्रम	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	दस्तावेजों का सत्यापन	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना	आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश	अपग्रेडेशन* का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना	अपग्रेडेशन के पश्चात आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता तथा आवंटित संस्थानों में उपस्थिति एवं प्रवेश
बी.ई. शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना	12/07/2012 के सांय 3 बजे तक	12/07/2012 तक (प्रातः 10:30 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	12/07/2012 सांय 5:30 बजे तक	20/07/2012 से 24/07/2012 सांय 5:00 बजे तक	20/07/2012 से 24/07/2012 सांय 5:00 बजे तक	26/07/2012 से 28/07/2012 सांय 5:00 बजे तक

सामान्य पूल की सीटों के लिए बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संशोधित समय–सारणी (प्रथम चरण)

पाठ्यक्रम	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	दस्तावेजों का सत्यापन	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना	परीक्षणात्मक आवंटन की ऑनलाइन उपलब्धता (केवल अवलोकन हेतु)**	वास्तविक आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश	अपग्रेडेशन* का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना	अपग्रेडेशन के पश्चात आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता तथा आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश
बी.ई. (सामान्य पूल की सीटों के लिये)	12/07/2012 के सांय 3 बजे तक	12/07/2012 तक (प्रातः 10:30 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	12/07/2012 सांय 5:30 बजे तक	20/07/2012 से 24/07/2012 तक	31/07/2012 से 04/08/2012 सांय 5:00 बजे तक	31/07/2012 से 04/08/2012 सांय 5:00 बजे तक	07/08/2012 से 10/08/2012 सांय 5:00 बजे तक

- ***पीईपीटी–2012 के आधार पर आयोजित केवल प्रथम चरण की काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन की सुविधा:–**
  यदि अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के लिये इच्छुक है तो उन्हें प्रथम चरण के वास्तविक आवंटन उपरांत संस्था में रिपोर्ट करने की आश्यकता नहीं है उन्हें प्रिंटआउट में दर्शाई गई **अंतिम तिथि के पूर्व अपना अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।** ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेशन चाहते हैं वे प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि के पूर्व अपना अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत कर अपग्रेडेशन जारी होने तक इंतजार करें अर्थात उन्होंने जिन संस्थाओं/पाठ्यक्रम के लिये प्राथमिकताक्रम का चयन किया था उनमें से उन्हें आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम के ऊपर की चयनित संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के लिये आवंटन हेतु अवसर मिलेगा तथा अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटन पत्र प्राप्त करें तथा नये आवंटित संस्था में

प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें। अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व में आवंटित संस्था में, नये आवंटन पत्र में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें। अपग्रेडेशन की सुविधा का विकल्प केवल प्रथम चरण की काउंसलिंग में ही उपलब्ध रहेगी।

महत्वपूर्णः–

**** शिक्षण शुल्क छूट योजना एवं सामान्य पूल के प्रथम चरण की काउंसलिंग में अलग–अलग च्वाईस भरकर लॉक करनी होगी।**

दिनांक 20/07/2012 को उपरोक्तानुसार सामान्य पूल के प्रथम चरण का परीक्षणात्मक (Testing) आवंटन जारी किया जावेगा। उक्त आवंटन अभ्यर्थियों के लिये केवल जांच के लिये उपलब्ध रहेगा। इस परीक्षणात्मक आवंटन में शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का आवंटन भी सम्मिलित रहेगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना में आवंटन प्राप्त होगा तथा शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना के अंतर्गत आवंटित संस्था में प्रवेश प्राप्त कर लेंगे, उन्हें दिनांक 31/07/2012 को जारी की जाने वाली उपरोक्तानुसार सामान्य पूल की प्रथम चरण के वास्तविक आवंटन में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

दिनांक 20/07/2012 को शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना की सीटों का आवंटन जारी होगा, जिससे कि शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना के वास्तविक आवंटन तथा सामान्य पूल की काउंसिलिंग के प्रथम चरण के अनन्तिम आवन्टन की जानकारी एक साथ उपलब्ध रहेगा और अभ्यथी अपनी इच्छानुसार शिक्षण छूट योजना की सीटों अथवा सामान्य पूल के सीटों पर प्रवेश के संबंध में अंतिम निर्णय ले सके। शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना में आवंटित संस्था में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को सामान्य पूल के प्रथम चरण में से हटाकर उपरोक्तानुसार सामान्य पूल के काउंसिलिंग के प्रथम चरण का आवन्टन जारी होगा जोकि वास्तविक आवंटन होगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण में चयनित प्राथमिकताक्रम के आधार पर परीक्षणात्मक अनन्तिम (Temprary) आवन्टन में आवंटित संस्था/ब्रांच की तुलना में शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना में अभ्यर्थियों के प्रवेश लेने के कारण प्रथम चरण के वास्तविक आवंटन में उच्च प्राथमिकताक्रम की संस्था/ब्रांच आवंटन की संभावना रहेगी।

काउंसलिंग प्रक्रिया, प्रवेश नियम, सीटों की जानकारी के लिये वेबसाईट का अवलोकन करें तथा शेष समस्त नियम पूर्ववत् रहेंगे। Website: www.dtempcounselling.org www.mponline.gov.in

दिनांक 5/7/2012 विक्र 13/2012

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश